मोहम्मद हुसैन (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि तथा अन्य

बनाम

गोपीबाई तथा अन्य

(सिविल अपील नम्बर 912/1999)

19 फरवरी, 2008

(श्री ए.के. माथुर और श्री तरूण चटर्जी,जे.जे.)

उपशमन-द्वितीय अपील का-प्रत्यर्थी में से एक की मृत्यु होना-निर्णय के हस्ताक्षरित होने तक उसके उत्तराधिकारीगण तथा विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने का कोई प्रार्थाना पत्र पेश नहीं किया जाना-अपीलार्थी का यह बचाव की द्वितीय अपील मृतक प्रत्यर्थी की मृत्यु होने पर पूरी तरह से उपशमित हो गयी-धारित किया....चूंकि मृतक प्रत्यर्थी के कुछ उत्तराधिकारीगण तथा विधिक प्रतिनिधिगण पूर्व से ही द्वितीय अपील की पत्रावली पर अभिलेख पर थे इसिलए यह मानने योग्य नहीं है-इसलिए प्रत्यर्थी की मृत्यु होने पर द्वितीय अपील के उपशमन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता-विधि के तहत केवल यह आवश्यक था कि द्वितीय अपील में उसकी मृत्यु होने के तथ्य का अंकन किया जाता औरउसका नाम प्रत्यर्थीगण में से हटाया जाता तथा शेष उत्तराधिकारीगण एवं विधिक प्रतिनिधिगण जो अभिलेख पर नहीं थे, उनका नाम जोड़ा जाता ।

पक्षकार-आवश्यक पक्षकार का असंयोजन -बंधकदाता द्वारा बंधकग्राही पिता तथा उसके दो पुत्रों के साथ बंधक किया जाना-बंधकग्राही पुत्रों के विरूद्ध बंधक मोचन का वाद पेश होना-विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री किया जाना-प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना-उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को मृतक बंधकग्राही की दो विवाहित पुत्रियों के असंयोजन के आधार पर निरस्त किया जाना-धारित किया गया-चूंकि मृतक बंधकग्राही के दोनों पुत्र जो कि स्वयं भी बंधकग्राही थे, वे पूर्व से ही मृतक बंधकग्राही के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिस कारण यह न्यायोचित नहीं था-दोनों पुत्रियों को दूरभिसंधि कर अथवा कपटपूर्ण तरीके से पक्षकार नहीं बनाये जाने का कोई आक्षेप नहीं था-निचली अदालतों का यह समवर्ती निष्कर्ष था कि एक पुत्री की मृत्यु हो गई थी तथा दूसरी पुत्री का वाद परिसर में कोई हित नहीं था, क्योंकि वह अपने पिता की मृत्यु के समय उनके साथ नहीं रह रही थी-उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील में दिये गये निष्कर्ष गलत थे।

दिनांक 24-04-1932 को ''एच'' द्वारा वाद परिसर के कब्जे को लेकर बंधक ''एन'' एवं उसके दो पुत्रों प्रतिवादी संख्या एक एवं दो के साथ 300/- रूपये में निष्पादित किया। वर्ष 1967 में अपीलार्थी जो कि ''एच'' के उत्तराधिकारी थे, के द्वारा प्रतिवादी संख्या एक एवं दो तथा उनके पुत्रों के विरूद्ध वाद परिसर के बंधक के मोचन का वाद दायर किया गया। दावा दायर करते समय ''एन'' की मृत्यु हो गई थी तथा उसके पीछे दो पुत्र एवं

दो विवाहित पुत्रियां थी।

प्रत्यर्थीगण द्वारा वाद इस आधार पर लड़ा गया कि वाद पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर खारिज योग्य था क्योंकि ''एन'' की दो विवाहित पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा वाद परिसर के संदर्भ में प्रतिकूल कब्जे का भी निवेदन किया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा वाद को डिक्री किया गया ।प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई। अपील होने पर उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को यह धारित करते हुए निरस्त किया कि वाद पक्षकारों के असंयोजन से खारिज योग्य था।

इस न्यायालय के समक्ष अपील होने पर दो प्रश्नों पर विचार किया जाना है। कि क्या प्रत्यर्थीगण संख्या एक लगायत चार द्वारा पेश की गई द्वितीय अपील इस आधार पर उपशमित हो गई कि उनके द्वारा ''एच'' जिसकी मृत्यु द्वितीय अपील के लम्बित होने के दौरान हो गई थी, के विधिक वारीसान तथा प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया था तथा क्या बंधकग्राही के दो विवाहित पुत्रियों की अनुपस्थिति में बंधक मोचन का वाद उनके असंयोजन के आधार पर निरस्त किया जा सकता है।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया

गया कि:-

1. बंधकदाता ''एच'' की मृत्यु दिनांक 19-11-1991 को हो गयी थी। अपीलार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील में दिनांक 03-03-1992 को न्यायाधीश द्वारा निर्णय हस्ताक्षरित करने के पश्चात मृतक के उत्तराधिकारियों तथा विधिक प्रतिनिधियों का अभिलेख पर लाकर उपशमन को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। स्वीकृत रूप से ''एच'' के कुछ उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधि द्वितीय अपील की पत्रावली पर पूर्व से ही अभिलेख पर थे।ऐसी स्थिति के होते हुए, चूंकि ''एच'' के कुछ उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधि पूर्व से ही अभिलेख पर थे तो ''एच'' की मृत्यु होने पर द्वितीय अपील के उपशमन का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। केवल मात्र ''एच'' की मृत्यु होने का अंकन तथा द्वितीय अपील में प्रत्यर्थीगण में से उसका नाम को हटाया जाने का प्रश्न ही रह जाता है। ऐसी स्थिति होते हुए, यद्यपि ''एच'', जिसके सभी उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर लिये नहीं गये थे की मृत्यु होने के पश्चात निर्णय दिया गया, तो भी विधि के तहत केवल यह आवश्यक था कि ''एच'' की मृत्यु होने का अंकन किया जाए तथा उसका नाम द्वितीय अपील के प्रत्यर्थीगण में से हटाया जाए तथा शेष उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधि जिनको अभिलेख पर नहीं लिया गया उनको अपील के मेमोरेंडम में वाद शीर्षक में जोड़ा जावे। इसलिए संपूर्ण निर्णय को निरस्त करने का आदेश पूरी तरह से तकनीकी होना माना जाएगा। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निर्णित

किया जाता है। (पैरा संख्या 3) [1244 जी.एच. 1225 ए.एफ.]

2. उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील की स्टेज पर आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर अपीलार्थीगण का वाद निरस्त किया जाना न्यायौचित नहीं था जबकि स्वीकृत तौर पर मृतक बंधकग्राही के दो पुत्र, जो कि वाद परिसर के संदर्भ में भी बंधकग्राही थे, वे मृतक बंधकग्राही की सम्पत्ति का पूर्व से ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह सत्य है कि बंधक मोचन के वाद में बंधकग्राही के सभी उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधि आवश्यक पक्षकार होते है, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार दो विवाहित पुत्रियों की अनुपस्थिति में भी वाद विधिनुसार पोषणीय है, जिसके दो कारण है। प्रथमतः यह प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष था कि बंधक मोचन का वाद दायर करते समय बंधकग्राही में से ''एन'' की मृत्यु पूर्व से ही हो चुकी थी। यह भी निष्कर्ष दिया गया था कि विवाहित पुत्रियों में से एक की मृत्यु हो चुकी थी। यदि इस निष्कर्ष को मान भी लिया जाए तो मृतक पुत्री को वाद दायर करते समय आवश्यक पक्षकार नहीं माना जा सकता। जहां तक दूसरी पुत्री का प्रश्न है तो अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष था कि वह वाद परिसर का उपयोग नहीं कर थी, ना ही वह बंधकग्राही के साथ उसकी मृत्यु के समय वहां निवास कर रही थी। यदि इस निष्कर्ष को भी स्वीकार किया जाता है तो वाद दोनों विवाहित पुत्रियों की अनुपस्थिति में भी विधिनुसार पोषणीय रहेगा। द्वितीयतः यदि यह मान भी लिया जाए कि दोनों विवाहित पुत्रियां

आवश्यक पक्षकार थी तो भी दोनों विवाहित पुत्रियां के सम्पत्ति में हितों को उनके दोनों भाईयों द्वारा समुचित रूप से प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। (पैरा संख्या 9)[1229-डी.एच. 1230 ए.बी.]

एन.के.मोहम्मद सुलेमान साहिब बनाम ए.सी. मोहम्मद इस्माईल साहेब एवं अन्य ए.आई.आर. (1966) ऐसे.सी.792

गिरधर पारशराम किराड बनाम फर्म मोतीलाल चम्पालाल, मालिकान, हीरालाल चम्पालाल एवं अन्य [ए.आइ.आई. 1941 नागपुर 5](डी.बी.) गंगाराम एवं अन्य बनाम बलभद्र सांई एवं अन्य [ए.आई.आर. 1938 नागपुर 32] सुनिता बाला देवी बनाम धारा सुन्दरी देवी एवं अन्य [ए.आई.आर. 1919 पीसी 24] रूद्र सिंह बनाम जंगीसिंह एवं अन्य [ए.आई.आर. 1915 अवध] सैय्यद इदूदीन खान बनाम हीरालाल [1914 24 आई.सी. 25]

3. सामान्यतः न्यायालय ऐसे व्यक्ति, जिसे की कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं बनाया जाता उसके संदर्भ में पारित की गई डिक्री को बाध्यकारी नहीं मानती है, परन्तु इस नियम के कुछ निश्चित अपवाद है। जहां कि अनुपस्थित उत्तराधिकारी के व्यक्तिगत कानून के नियमों से मृतक की संपत्ति में उसके हित को संयोजित किए गए पक्षकार द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, इसका भी दूसरा अपवाद न्याय प्रशासन के व्यापक हित में उभरकर आया है। यदि कोई देय ऋण है तथा अनुपस्थित उत्तराधिकारी

के विरूद्ध कोई पक्षपात नहीं होता है, तो जहां वादी द्वारा सद्भाविक जांच के पश्चात उसकी जानकारी में आये सभी उत्तराधिकारियों को पक्षकार संयोजित किया गया है, तो जारी की गई डिक्री सामान्यतः सभी व्यक्ति जिनका सम्पत्ति में हित है, उन पर बाध्यकारी रहेगी। निश्चित तौर पर न्यायालय यह जांच करेगा कि क्या उक्त डिक्री कपट, दूरभिसंधी या अन्य गलत तरीकों से प्राप्त की गई है अथवा नहीं। न्यायालय यह भी जांच करेगा कि क्या वाद में सही विवाद था तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह भी तय करेगा कि क्या ऐसा कोई विशेष बचाव था जिसे कि अनुपस्थित प्रतिवादी द्वारा उठाया जा सकता था, परन्तु जो उठाया नहीं गया, हालांकि जहां सद्भाविक गलती के आधार पर वादी अनुतोष प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध वाद दायर करता है जो कि मृतक, जिसके विरूद्ध वादी द्वारा पूरा या आंशिक तौर पर दावा किया गया है, व्यक्ति की सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है तथा कपट दूरूभिसंधि या अन्य आधार जो डिक्री को दूषित करते है, उनकी अनुपस्थिति में, डिक्री जो कि संयोजित किये गये उत्तराधिकारियों के विरूद्ध पारित की गई है वह सभी उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होती है, यद्यपि अन्य व्यक्ति जिनका सम्पत्ति में हित है, उन्हें अभिलेख पर नहीं लिया गया हो। (पैरा संख्या 9) [1230-डी.एच, 1231-ए]

4. ''एन'' के दो पुत्र जो कि ''एन'' के साथ ही दो बंधकग्राही थे वे ''एन'' की सम्पत्ति को समुचित रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह प्रत्यर्थीगण का जवाब दावा या साक्ष्य में मामला नहीं था कि दोनों

विवाहित पुत्रियों को दुरूभिसंधी अथवा कपटपूर्ण तरीके से पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी द्वारा "एन" के दोनों पुत्रों के विरूद्ध दायर किया गया दावा उनके मध्य कपट या दुरूभिसंधी के आधार पर नहीं था। अभिलेख को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि "एन" के दोनों पुत्रों द्वारा वाद तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई अपील तथा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई द्वितीय अपील सभी को समुचित रूप से लड़ा था। इसिलए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थीगण द्वारा पेश किया गया दावा "एन" के दोनों पुत्रों के साथ दुरूभिसंधी कर अथवा कपट से पेश किया गया हो। इस प्रकार के बचाव के अभाव में यह धारित किया जाना चाहिए कि बंधकग्राही "एन" की सम्पत्ति का पर्याप्त रूप से एवं सद्भाविक तरीके से उसके दोनों पुत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा था तथा उनके तथा अपीलार्थी के मध्य किसी प्रकार का कपट तथा दुरूभिसंधि नहीं थी। इस प्रकार से डिक्री जो कि "एन" के उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधियों के विरूद्ध पारित की गई, वह संपूर्ण सम्पत्ति पर बाध्यकारी है। यद्यपि दोनों विवाहित पुत्रियां जिनका की उक्त सम्पत्ति में हित निहित हो सकता है, उन्हें अभिलेख पर नहीं लिया गया था। यह समवर्ती निष्कर्ष दोनों निचले न्यायालयों का रहा था तो उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपीलीय स्टेज पर यह धारित किया जाना कि वाद "एन" की दोनों विवाहित पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाने से विधिनुसार पोषणीय नहीं था, सही नहीं था। (पैरा संख्या 10, 12) [1231-जी, 1232-ए-डी, 1234-ए-बी]

सूर्या बेगम(श्रीमती) बनाम मोहम्मद उस्मान एवं अन्य [(1991)3 ऐसे.सी.सी. 144]

कनकरथनम्मल बनाम लोगनाथ मुदलियार एवं अन्य [ए.आई.आर. 1965 ऐसे.सी. 271]

4.2. द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इन सभी पर गुणावगुण पर विचार नहीं किया, परन्तु प्रत्यर्थीगण के तर्कों को देखते हुए निचली अदालतों के निष्कर्ष को गुणावगुण पर निरस्त करने का कोई कारण नहीं बनता है। वाद परिसर को प्रत्यर्थीगण को 300/- रूपये पर बंधक दिया गया था तथा इस कारण से, अपीलार्थीगण बंधक मोचन के वाद में डिक्री के हकदार थे। चूंकि इस निष्कर्ष पर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति नहीं की गई इसलिए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित किया जाना आवश्यक नहीं है। (पैरा संख्या 13)[1234-सी-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील नम्बर 912/1999

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, बैंच इन्दौर के एस.ए. नम्बर 27/1978 में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28-02-1992 से उत्पन्न ।

ऐसे.के.गंभीर,अनिल शर्मा, बी.के. शर्मा, एच.के. पूरी-अपीलार्थीगण की ओर से .

अलोक बचावत, समीना अहमद एवं हरिन्द्र मोहन सिंह-प्रत्यर्थीगण

की ओर से .

न्यायालय का निर्णय श्री तरूण चटर्जी, न्यायाधीश द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।

1. यह अपील उच्च न्यायालय, इन्दौर के विद्वान न्यायाधीश द्वारा द्वितीय अपील संख्या 27/78 में निर्णय दिनांक 28 फरवरी, 1992 जो कि 20 मार्च, 1992 को पारित किया गया, के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके तहत निचली अदालतों के अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध दायर किये गये बंधक मोचन के वाद को डिक्री करने के समवर्ती निष्कर्षों को इस आधार पर निरस्त किया गया कि बंधक मोचन का वाद एक बंधकग्राही की दो विवाहित पुत्रियों की अनुपस्थिति में विधिनुसार पोषणीय नहीं रह जाता है।

2. इस अपील के तथ्यों के विवेचन करने से पूर्व हमें पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उठाये गये दो प्रश्नों को देखा जाना है, जो निम्नानुसार हैः-

(i) क्या प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 4 जो कि उच्च न्यायालय में अपीलार्थीगण थे, के द्वारा पेश की गई द्वितीय अपील उपशमित हो गई है, क्योंकि मोहम्मद हुसैन जो कि उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थीगण में से एक था, जिसकी मृत्यु द्वितीय अपील के लम्बित होने के दौरान हो गई थी तथा उसके विधिक उत्तराधिकारी तथा प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेने का

प्रार्थना पेत्र पेश नहीं किया गया था।

(ii)क्या एक बंधकग्राही की दो विवाहित पुत्रियों की अनुपस्थिति में यह धारित किया जा सकता है कि बंधक मोचन का वाद पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर विधिनुसार पोषणीय नहीं है अथवा क्या ऐसा वाद इन आधारों पर निरस्त किया जा सकता है?

3. सर्वप्रथम हमारे निर्णय के लिए प्रथम प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न यह है कि क्या द्वितीय अपील जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा पेश की गई थी वह मोहम्मद हुसैन की मृत्यु होने पर पूरी तरह से उपशमित हो गई थी। श्रीमान गंभीर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी मोहम्मद हुसैन की मृत्यु होने पर निर्णय के हस्ताक्षरित होने तक भी उसके उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया था तो ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील पूरी तरह से उपशमित हो जाती है और इसलिए जब तक कि मोहम्मद हुसैन की मृत्यु से हुए उपशमन को निरस्त नहीं किया जाता तो द्वितीय अपील का निर्णय गुणावगुण पर जाए बिना निरस्त होने योग्य है। अभिलेख देखने से यह प्रतीत होता है कि मोहम्मद हुसैन की मृत्यु 19 नवम्बर, 1991 को हो गई थी। यह भी सत्य है कि मृतक मोहम्मद हुसैन के उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 03 मार्च, 1992 को विद्वान न्यायाधीश द्वारा निर्णय को

हस्ताक्षरित करने के पश्चात पेश किया गया था। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि मोहम्मद हुसैन के कुछ उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधि द्वितीय अपील की पत्रावली में पूर्व से ही अभिलेख पर थे। ऐसी स्थिति होते हुए हमारे मतानुसार मोहम्मद हुसैन की मृत्यु होने से ही द्वितीय अपील के उपशमित होने का प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि स्वीकृतः उसके कुछ उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर थे। केवल मोहम्मद हुसैन की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु का अंकन तथा उसका नाम द्वितीय अपील के प्रत्यर्थीगण में से हटाया जाने का ही प्रश्न रह जाता है। ऐसी स्थिति होते हुए यद्यपि मोहम्मद हुसैन, जिसके सभी उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर नहीं लिया गया था , की मृत्यु होने के पश्चात निर्णय पारित किया गया तो भी विधिनुसार केवल यही आवश्यकता थी कि मोहम्मद हुसैन की मृत्यु का अंकन किया जाए तथा उसका नाम द्वितीय अपील में प्रत्यर्थीगण से हटाया जाए तथा शेष उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधिगण जिन्हें अभिलेख पर नहीं लिया गया है, उन्हें अपील के मेमोरेंडम के वाद शीर्षक पर जोड़ा जाए। इसलिए हमारे मतानुसार उच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद हुसैन के सभी उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं लेने के आधार पर सम्पूर्ण निर्णय को निरस्त करने का दिया गया आदेश पूर्णतया तकनीकी माना जाएगा, क्योंकि उसके कुछ उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर थे तथा जो उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर नहीं थे, उनका समुचित

प्रतिनिधित्व अभिलेख पर आये अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न का निस्तारण उपस्थित प्रत्यर्थीगण के पक्ष में किया जाता है।

4. अब हम इस अपील के दायर करने के संदर्भ में आवश्यक तथ्यों का विवेचन करते हैं। 24 अप्रेल, 1932 को मृतक हुसैन अली का मृतक नन्दराम और उसके दो पुत्रों माणकलाल एवं मोतीलाल के साथ तीन सौ रूपये में वाद परिसर के कब्जे के संदर्भ में बंधक निष्पादन हुआ। 17 जुलाई, 1967 को हुसैना बाई, सुगरा बाई तथा मोहम्मद हुसैन (अपीलार्थीगण)जो कि हुसैन अली के उत्तराधिकारी थे, के द्वारा माणकलाल और मोतीलाल (प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2) तथा उनके दो पुत्रों (प्रतिवादी संख्या 3 तथा 7) के विरूद्ध वाद परिसर के बंधक मोचन का वाद दायर किया गया, जैसा कि वाद की अनुसूचि में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा बंधक मोचन का वाद दायर करते समय नन्दराम की मृत्यु पूर्व से ही हो चुकी थी तथा उसके पीछे उसके दो पुत्र माणकलाल तथा मोतीलाल तथा दो विवाहित पुत्रियां अन्नपूर्णा तथा प्यारीबाई थे। वादीगण/अपीलार्थीगण का यह मामला था कि प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण को वाद परिसर का बंधक मोचन नहीं करने दे रहे थे तथा प्रत्यर्थीगण का उन्हें वाद परिसर से वंचित करने का इरादा था। इस प्रकार से वाद में उठाये गये उक्त आक्षेपों के आधार पर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा वाद परिसर के संदर्भ में बंधक मोचन की डिक्री चाही गई। उक्त वाद

को प्रत्यर्थीगण द्वारा चलाया गया, जिसमें कि यह कहा गया कि वास्तविक रूप से वाद परिसर हसन अली द्वारा उसकी मृत्यु से पूर्व से ही बैच दिया गया था और इस आधार पर अपीलार्थीगण यह मांग नहीं कर सकते थे। आगे यह भी कहा गया कि वाद पक्षकारों के असंयोजन से प्रभावित था, क्योंकि नन्दराम के सभी विधिक प्रतिनिधि तथा उसकी दोनों विवाहित पुत्रियां अन्नपूर्णा और प्यारी बाई को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा वाद परिसर के संदर्भ में प्रतिकूल कब्जे का आधार भी लिया गया है। इस प्रकार से प्रत्यर्थीगण द्वारा वाद को न केवल गुणावगुण पर परन्तु पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर भी निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5. अपीलार्थीगण का वाद विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री करते हुए यह पाया कि अपीलार्थीगण हुसैन अली के विधिक उत्तराधिकारी है तथा उन्हें प्रत्यर्थीगण से वाद परिसर को पुनः प्राप्त करने एवं बंधक मोचन करने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्यर्थीगण का प्रतिकूल कब्जे का आधार भी खारिज किया गया तथा साथ ही प्रत्यर्थीगण का बंधकग्राही नन्दराम की दोनों पुत्रियों की अनुपस्थिति में वाद विधिनुसार पोषणीय नहीं होने का बचाव भी खारिज किया गया।

6. इसके विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो कि खारिज हुई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया

कि चूंकि दोनों विवाहित पुत्रियां नन्दराम की मृत्यू के समय उसके साथ निवास नहीं कर रही थी इसिलए वे बंधक मोचन के वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह भी निष्कर्ष था कि नन्दराम की दोनों विवाहित पुत्रियों में से एक अन्नपूर्णा जीवित नहीं थी तथा जहां तक दूसरी पुत्री का प्रश्न है तो अपीलीय न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि नन्दराम की मृत्यु के समय वे उसके साथ नहीं रह रही थी इसलिए वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं थी। यह भी पाया गया कि नन्दराम की विवाहित पुत्रियां वाद परिसर के कब्जे में नहीं थी और चूंकि वाद विवादित परिसर के विभाजन का नहीं था, जिसमें की विवाहित पुत्रियों का हित निहित हो सकता है, जिस कारण भी वे आवश्यक पक्षकार नहीं थी। अंत में यह धारित किया गया कि चूंकि ओछालाल डी.डब्ल्यू.1 ने यह साक्ष्य दी है कि वाद परिसर का विभाजन पूर्व से ही हो चुका था तथा विभाजन के पश्चात वाद परिसर उसके हिस्से में आया था तथा इस कारण भी नन्दराम के विवाहित पुत्रियों का उसमें कोई हित होना नहीं माना जा सकता इसिलए भी वे आवश्यक पक्षकार नहीं थी।

7. प्रथम अपीलीय न्यायालय जिसके द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया गया था, के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की। उच्च न्यायालय द्वारा, जैसा कि पूर्व में बताया गया निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को इस आधार पर निरस्त किया कि चूंकि नन्दराम की दोनों विवाहित पुत्रियों के बंधक मोचन के वाद

में आवश्यक पक्षकार थी, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। हालांकि निचली अदालतों के दोनों विवाहित पुत्रियों के नन्दराम की मृत्यु होने की स्थिति में आवश्यक पक्षकार नहीं होने के संदर्भ में दिये गये आधार कि नन्दराम की मृत्यु के समय वे ना तो उसके साथ रह रही थी, ना ही वाद परिसर का उपयोग उपभोग कर रही थी और दोनों विवाहित पुत्रियों में से एक अन्नपूर्णा पहले ही मर चुकी थी, इन सभी पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया इसलिए जहां तक द्वितीय अपील के गुणावगुण का प्रश्न है तो उच्च न्यायालय द्वारा इन पर विचार नहीं किया तथा द्वितीय अपील को आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के आधार पर स्वीकार किया। मृतक नन्दराम की दोनों विवाहित पुत्रियों का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व उनके दोनों पुत्रों द्वारा किये जाने के प्रश्न पर यह धारित किया कि इस आधार पर भी वादीगण/अपीलार्थीगण काे किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है। न्यायालय का उक्त निर्णय भी प्रस्तुत अपील में आक्षेपित है।

8. जैसा कि पूर्व में बताया गया है द्वितीय प्रश्न जिस पर विचार किया जाना है एवं इस अपील में निर्णित किया जाना है, वह यह है कि क्या नन्दराम की दोनों पुत्रियों अन्नपूर्णा तथा प्यारी बाई बंधक मोचन के वाद में आवश्यक पक्षकार थी। कहने का तात्पर्य है कि क्या उनकी अनुपस्थिति में वाद विधिनुसार पोषणीय था। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 19 पर निर्भर किया है तथा यह धारित किया कि चूंकि मृतक नन्दराम के दोनों

पुत्रों तथा दोनों विवाहित पुत्रियां उसकी सम्पत्ति में बतौर सामान्य किरायेदार न होना संयुक्त किरायेदार के रूप में उत्तराधिकारी बने जिस कारण दोनों विवाहित पुत्रियों की अनुपस्थिति में वाद विधिनुसार पोषणीय नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा अपने इस निष्कर्ष की दोनों विवाहित पुत्रियों की अनुपस्थिति में वाद पोषणीय नहीं था, के समर्थन में निम्न निर्णयों को आधार बनाया गयाः-

(अ) गिरधर पारशराम किराड बनाम फर्म मोतीलाल चम्पालाल, मालिकान, हीरालाल चम्पालाल एवं अन्य [ए.आइ.आई. 1941 नागपुर 5] (डबल बैंक)

(ब) गंगाराम एवं अन्य बनाम बलभद्र सांई एवं अन्य [ए.आई.आर. 1938 नागपुर 32]

(स) सुनिता बाला देवी बनाम धारा सुन्दरी देवी एवं अन्य [ए.आई.आर. 1919 पीसी 24]

(द) रूद्र सिंह बनाम जंगीसिंह एवं अन्य [ए.आई.आर. 1915 अवध]

(ई) सैय्यद इदूदीन खान बनाम हीरालाल [1914 24 आई.सी. 25]

इस प्रकार से उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के तर्कों को इस आधार पर खारिज किया कि समुचित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों में सहायता पहुंचाता है तथा यह धारित किया कि प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण दोनों विवाहित पुत्रियों के हितों का प्रतिधित्व नहीं

करते हैं और इस आधार पर उनकी अनुपस्थिति में प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण को उचित पालना नहीं की जा सकती है। दूसरा आधार जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों के निर्णयों को निरस्त किया गया वह यह था कि चूंकि असंयोजन की आपत्ति प्रत्यर्थीगण द्वारा शीघ्र उठा ली गई थी तथा अपीलार्थीगण उक्त कमीपूर्ति को सही किये बिना मामले की सुनवाई में आगे बढ़ते रहे तो उक्त कमीपूर्ति को सही करने का प्रश्न द्वितीय अपीलीय स्टेज पर नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी धारित किया गया कि यदि अपीलार्थीगण को उक्त पक्षकारों के असंयोजन की कमीपूर्ति को सही करने का मौका सही स्टेज पर दिया जाता तो भी वाद परिसीमा के आधार पर खारिज हो सकता था। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा कनकरथनम्मल बनाम लोगनाथ मुदलियार एवं अन्य [ए.आई.आर. 1965 ऐसे.सी. 271] पर निर्भर किया गया।

9. उच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष तथा साथ ही साथ निचली अदालतों के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए यह देखा जाना है कि क्या उच्च न्यायालय वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वितीय अपीलीय स्टेज पर आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर वाद खारिज करने में न्यायोचित था, जबकि स्वीकृत तौर पर मृतक बंधकग्राही के दोनों पुत्र जो कि वाद परिसर के संदर्भ में स्वयं बंधकग्राही थे, बंधकग्राही की सम्पत्ति का पूर्व से ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि नन्दराम की दोनों विवाहित पुत्रियां भी बंधक मोचन के वाद में

आवश्यक पक्षकार थी तथा उनकी उपस्थिति में वाद पोषणीय नहीं था। हम उच्च न्यायालय के प्रकट किये गये विचारों को पुष्ट करने में असहमत है। यह सत्य है कि बंधक मोचन के वाद में मृतक बंधकग्राही के सभी उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधि आवश्यक पक्षकार है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों के अनुसार हम दोनों विवाहित पुत्रियों की अनुपस्थिति में वाद के पोषणीय नहीं होने को उचित नहीं मानते हैं, जिसके कम से कम निम्न दो कारण हैः-

(I) यह प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष था कि बंधक मोचन का वाद दायर करते समय ही नन्दराम की पूर्व से ही मृत्यु हो चुकी थी। यह भी निष्कर्ष दिया गया था कि उसकी विवाहित पुत्री अन्नपूर्णा की भी मृत्यु हो चुकी थी। यदि इस निष्कर्ष को सही मान लिया जाए तो अन्नपूर्णा को वाद दायर करते समय आवश्यक पक्षकार होना नहीं कहा जा सकता है। जहां तक दूसरी विवाहित पुत्री प्यारी बाई का प्रश्न है तो अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष था कि वह वाद परिसर का उपयोग नहीं कर रही थी, ना ही वह बंधकग्राही नन्दराम के साथ उसकी मृत्यु के समय निवास कर रही थी। यदि इन निष्कर्षों को भी स्वीकार कर लिया जाता है तो दोनों विवाहित पुत्रियों की अनुपस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वाद विधिनुसार पोषणीय नहीं हो।

(ii) यदि यह मान भी लिया जाए कि नन्दराम की दोनों विवाहित

पुत्रियां आवश्यक पक्षकार थी तो भी नन्दराम की सम्पत्ति में उक्त दोनों विवाहित पुत्रियों के हितों का उनके दोनों भाई माणकलाल तथा मोतीलाल द्वारा समुचित रूप से प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। एन.के. मोहम्मद सुलेमान साहिब बनाम एन.सी. मोहम्मद इस्माईल साहेब और अन्य [ए.आई.आर. 1966 ऐसे.सी. 792] एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा पैरा नम्बर 14 में यह टिप्पणी की है किः-

> "14.सामान्यतः न्यायालय ऐसे व्यक्ति, जिसे की कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं बनाया जाता उसके संदर्भ में पारित की गई डिक्री को बाध्यकारी नहीं मानता है, परन्तु इस नियम के कुछ निश्चित अपवाद है। जहां कि अनुपस्थित उत्तराधिकारी के व्यक्तिगत कानून के नियमों से मृतक की संपत्ति में उसके हित को संयोजित किए गए पक्षकार द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, इसका भी दूसरा अपवाद न्याय प्रशासन के व्यापक हित में उभरकर आया है। यदि कोई देय ऋण है तथा अनुपस्थित उत्तराधिकारी के विरूद्ध कोई पक्षपात नहीं होता है, तो जहां वादी द्वारा सद्भाविक जांच के पश्चात उसकी जानकारी में आये सभी उत्तराधिकारियों को पक्षकार संयोजित किया गया है, तो जारी की गई डिक्री सामान्यतः सभी व्यक्ति जिनका सम्पत्ति में हित है, उन पर बाध्यकारी रहेगी। निश्चित तौर पर

न्यायालय यह जांच करेगा कि क्या उक्त डिक्री कपट, दूरभिसंधी या अन्य गलत तरीकों से प्राप्त की गई है अथवा नहीं। न्यायालय यह भी जांच करेगा कि क्या वाद में सही विवाद था तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह भी तय करेगा कि क्या ऐसा कोई विशेष बचाव था जिसे कि अनुपस्थित प्रतिवादी द्वारा उठाया जा सकता था, परन्तु जो उठाया नहीं गया, हालांकि जहां सद्भाविक गलती के आधार पर वादी अनुतोष प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध वाद दायर करता है जो कि मृतक, जिसके विरूद्ध वादी द्वारा पूरा या आंशिक तौर पर दावा किया गया है, व्यक्ति की सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है तथा कपट दूरूभिसंधि या अन्य आधार जो डिक्री को दूषित करते है, उनकी अनुपस्थिति में, डिक्री जो कि संयोजित किये गये उत्तराधिकारियों के विरूद्ध पारित की गई है वह सभी उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होती है, यद्यपि अन्य व्यक्ति जिनका सम्पत्ति में हित है, उन्हें अभिलेख पर नहीं लिया गया हो।"

इस न्यायालय के उपरोक्त वर्णित निर्णय में दिये गये उपरोक्त टिप्पणियों को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट होता है कि सामान्तया न्यायालय ऐसे व्यक्ति जिन्हें कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं बनाया गया, उसके संदर्भ में

डिक्री को बाध्यकारी नहीं मानता है। यह टिप्पणी करते समय इस न्यायालय ने कुछ महत्वूर्ण अपवाद बनायेः-

(i)जहां कि अनुपस्थित उत्तराधिकारी के व्यक्तिगत कानून के नियमों से मृतक की संपत्ति में उसके हित को संयोजित किए गए पक्षकार द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, तो वहां सम्पत्ति में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों पर डिक्री बाध्यकारी होगी।

(ii) यदि कोई देय ऋण है तथा अनुपस्थित उत्तराधिकारी के विरूद्ध कोई पक्षपात नहीं होता है, तो जहां वादी द्वारा सद्भाविक जांच के पश्चात उसकी जानकारी में आये सभी उत्तराधिकारियों को पक्षकार संयोजित किया गया है, तो जारी की गई डिक्री सामान्यतः सभी व्यक्ति जिनका सम्पत्ति में हित है, उन पर बाध्यकारी रहेगी।

(iii) न्यायालय यह जांच करेगा कि क्या उक्त डिक्री कपट, दूरभिसंधी या अन्य गलत तरीकों से प्राप्त की गई है अथवा नहीं इसलिए कपट दूरूभिसंधि या अन्य आधार जो डिक्री को दूषित करते है, उनकी अनुपस्थिति में, डिक्री जो कि संयोजित किये गये उत्तराधिकारियों के विरूद्ध पारित की गई है वह सभी उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होती है, यद्यपि अन्य व्यक्ति जिनका सम्पत्ति में हित है, उन्हें अभिलेख पर नहीं लिया गया हो।

10. हम उपरोक्त निर्णय में न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत का

पालन करने में कोई कठिनाई नहीं पाते हैं। नन्दराम के दोनों पुत्रों माणकलाल तथा मोतीलाल जो कि नन्दराम के साथ ही मूल रूप से बंधकग्राही भी थे, के द्वारा मृतक की सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण का जवाब दावा अथवा साक्ष्य में यह मामला नहीं था कि दोनों विवाहित पुत्रियों को दुरभिसंधि या कपटपूर्ण तरीके से पक्षकार नहीं बनाया गया हो। अपीलार्थी द्वारा मृतक नन्दराम तथा उनके दोनों पुत्रों के विरूद्ध दायर किया गया वाद उनके आपस में कपट अथवा दूरभिसंधी के आधार पर नहीं किया गया। अभिलेख को देखने से यह भी स्पष्ट प्रकट होता है कि नन्दराम के दोनों पुत्रों द्वारा वाद, विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध दायर की गई अपील तथा अंत में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई द्वितीय अपील सभी को समुचित रूप से लड़ा गया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा वाद नन्दराम के दोनों पुत्रों के साथ दूरूभिसंधी कर अथवा कपट से पेश किया गया हो। इसलिए ऐसे किसी बचाव की अनुपस्थिति में यह माना जाना चाहिए कि मृतक नन्दराम जो कि एक बंधकग्राही था, की सम्पत्ति का समुचित रूप से एवं सद्भाविक तरीके से माणकलाल तथा मोतीलाल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा था तथा उनके व वादीगण/अपीलार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कपट या दूरूभिसंधी नहीं थी और इस कारण जो डिक्री माणकलाल और मोतीलाल के मृतक नन्दराम के उत्तराधिकारी तथा विधिक प्रतिनिधि के तौर पर उनके विरूद्ध पारित की गई थी वह पूरी

सम्पत्ति पर बाध्यकारी रह जाती है। यद्यपि उक्त दोनों विवाहित पुत्रियां जिनका सम्पत्ति में हित हो सकता है तथा जिन्हें अभिलेख पर नहीं लाया गया। न्यायालय के इस मत का समर्थन इसी न्यायालय के निर्णय सूर्या बेगम(श्रीमती) बनाम मोहम्मद उस्मान एवं अन्य [(1991) 3 ऐसे.सी.सी. 144] में किया गया है। उक्त मामले के पैरा संख्या 9 में न्यायालय ने यह टिप्पणी दी है कि

> ''..... यह आवश्यक शर्त है कि व्यक्ति का हित का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व किया जाए दूसरे शब्दों में उसके हित का सद्भाविक तरीके से देखरेख की जा रही हो। यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा प्रतिनिधि के हित आपस में टकराते है अथवा प्रतिनिधि दूरभिसंधि या अन्य किसी कारणों से मामले में समुचित रूप से बचाव नहीं करता है तो उसे प्रतिनिधि होना नहीं माना जा सकता ....''

11. इस प्रकार उपरोक्त किये गये विचार विमर्श तथा इस न्यायालय के उपरोक्त दोनों निर्णयों में पारित किये गये सिद्धांत का अनुपालन करते हुए हमारा यह मत है कि दोनों पुत्रों द्वारा मृतक नन्दराम की सम्पत्ति का पर्याप्त रूप से तथा सद्भाविक तरीके से प्रतिनिधित्व किया जा रहा था तथा इसिलए वाद इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। यह सत्य है

कि दोनों विवाहित पुत्रियों की अनुपस्थिति में वाद की पोषणीयता के संदर्भ में आपत्ति वाद में उठायी गयी थी, परन्तु हमें यह नहीं भुलना चाहिए कि विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष के आधार पर अपीलार्थीगण का वाद डिक्री किया गया था, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय स्टेज पर हुई थी। उपरोक्तानुसार किये गये विचार विमर्श कि मृतक नन्दराम के दोनों पुत्रों द्वारा पर्याप्त रूप से मृतक की सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था, जो कि मृतक नन्दराम की विवाहित पुत्रियों पर भी बाध्यकारी है। यदि पुत्रियों को अब वाद में पक्षकार बनाये जाने की अनुमति दी जाती है तो परिसीमा के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से इस न्यायालय के निर्णय कनकरथनम्मल बनाम लोगनाथ मुदलियार एवं अन्य [ए.आई.आर. 1965 ऐसे.सी. 271] पर विचार किया जाना भी आवश्यक नहीं है।

12. उपरोक्त दिये गये कारणों से हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपीलीय स्टेज पर वादीगण/अपीलार्थीगण के वाद को पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर निरस्त करना सही नहीं था। हमारे मतानुसार मृतक नन्दराम के दोनों पुत्रों द्वारा पर्याप्त रूप से तथा सद्भाविक तरीके से सम्पत्ति में दोनों विवाहित पुत्रियों के हितों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। साथ ही वादीगण/अपीलार्थीगण तथा नन्दराम के दोनों पुत्रों के मध्य कपट अथवा दूरभिसंधी का भी कोई मामला नहीं था। प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण सभी ने वादीगण/अपीलार्थीगण

के वाद में किये गये दावे से इन्कारी की थी औरयह तर्क दिया था कि वाद परिसर उन्हें बैचा गया था तथा यह बंधक का मामला नहीं था। वास्तविक रूप से उनके द्वारा प्रतिकूल कब्जे का मामला बनाया गया था, अर्थात यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण को वाद परिसर में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्षों, जैसा कि उपरोक्त बताये गये है, को भी प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष नहीं उठाये गये हैं तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि (i) दोनों पुत्रियों में से एक अन्नपूर्णा की पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी (ii) दूसरी पुत्री प्यारी बाई का वाद परिसर में कोई हित नहीं था, क्योंकि वह मृतक नन्दराम की मृत्यु के समय उसके साथ नहीं रह रही थी।(iii) डी.डी.1 ओछनलाल ने इस बाबत साक्ष्य दी कि वाद परिसर का बंटवारा होकर उसका हिस्सा आ गया था इसलिए यह निष्कर्ष दिया गया कि दोनों विवाहित पुत्रियां आवश्यक पक्षकार नहीं थी। यही समवर्ती निष्कर्ष निचली अदालतों का था इस कारण से उच्च न्यायालय को द्वितीय अपीलीय स्टेज पर नन्दराम की दोनों विवाहित पुत्रियों को बंधक मोचन के वाद में पक्षकार नहीं बनाने से वाद विधिनुसार पोषणीय नहीं मानना सही नहीं था।

13. निष्कर्ष से पूर्व, हम यह पाते है कि द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इन सभी पर गुणावगुण पर विचार नहीं किया, परन्तु प्रत्यर्थीगण के तर्कों को देखते हुए निचली अदालतों के

निष्कर्ष को गुणावगुण पर निरस्त करने का कोई कारण नहीं बनता है। वाद परिसर को प्रत्यर्थीगण को 300/- रूपये पर बंधक दिया गया था तथा इस कारण से, अपीलार्थीगण बंधक मोचन के वाद में डिक्री के हकदार थे। चूंकि इस निष्कर्ष पर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति नहीं की गई इसलिए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित किया जाना आवश्यक नहीं है। फलस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाता है तथा निचली अदालतों के निर्णय को बहाल किया जाता है। खर्चे के संदर्भ में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

अपील स्वीकार की जाती है।

नोटः-यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी श्रीमती योगिता पारीक(आर.जे.ऐसे.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है औरकिसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा औरनिष्पादन औरकार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।